"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2006—आश्विन 21, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 12354/डी-2526/21-ब/छ. ग./2006.—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) की धारा 36 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति की सहमति से नीचे सारणी के कालम नंबर (3) में दर्शित क्षेत्रों के लिए कॉलम नंबर (2) के अनुसार दिनांक 8-10-2006 से विशेष न्यायालय स्थापित करती है एवं कॉलम नंबर (4) के अधिकारियों को नियुक्त करती है :—

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)	अधिकारियों के नाम (4)
1.	विशेष न्यायालय, कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया (बैकुण्ठपुर)
2.	विशेष न्यायालय, धमतरी	धमतरी	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी
3.	विशेष न्यायालय, महासमुंद	महासमुंद	प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, महासमुंद
4.	विशेष न्यायालय, जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा
5.	विशेष न्यायालय, उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर (कांकेर)

यह अधिसूचना स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) की धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 1-6-89-21-ब (एक), दिनांक 2-4-1998 को जहां तक कि सत्र खण्ड सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर (बस्तर) के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय, कोरिया (बैकुण्ठपुर), धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा एवं उत्तर बस्तर (कांकेर) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो विशेष न्यायालय सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में दिनांक 8-10-06 को लंबित है, क्षेत्राधिकार के अनुसार कोरिया (बैकुण्ठपुर), धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा एवं उत्तर बस्तर (कांकेर) को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 11th October 2006

NOTIFICATION

No. 12354/D-2526/XXI-B/C. G./2006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court, hereby constitute special court as specified in the corresponding entries in Column No. (2) for the area specified in Column No. (3) with effect from 8-10-06 and appoints officer specified in Column No. (4) of the following schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local Area/Sessions Division (3)	Name of the Officer (4)
1.	Special Court, Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur)	District and Sessions Judge, Koria (Baikunthpur).
2.	Special Court, Dhamtari	Dhamtari	Additional Sessions Judge. Dhamtari.
3.	Special Court, Mahasamund	Mahasamund	First Additional Sessions Judge. Mahasamund.
4.	Special Court, Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Additional Sessions Judge. Janjgir-Champa.
5.	Special Court, Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)	Additional Sessions Judge. Uttar Bastar (Kanker).

This notification modifies the Madhya Pradesh Government, Law Department's Notification No. 1-6-89/XX-B (1). dated 2-4-98 so far as it relates to erstwhile Sessions Division, Sarguja (Ambikapur), Raipur, Bilaspur & Jagdalpur (Bastar) for specifying a Court of Sessions under Section, 36 of the said Act.

All cases arising out of the area comprised within the Jurisdiction of Special Court Koria (Baikunthpur). Dhamtari. Mahasamund, Janjgir-Champa and Uttar Bastar (Kanker) and pending in the Special Court Sarguja (Ambikapur). Raipur. Bilaspur & Jagdalpur respectively as on 8-10-2006 shall stand transferred to Special Courts constituted at Koria (Baikunthpur), Dhamtari, Mahasamund, Janjgir-Champa and Uttar Bastar (Kanker) respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.